रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092023-249020 CG-DL-E-27092023-249020

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4065]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/आश्विन 5, 1945

No. 4065]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ASVINA 5, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) आदेश

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2023

का.आ. 4233(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 और धारा 25 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, माइलेक एनहाड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम माइलेक एनहाड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. माइलेक एनहाड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) में, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 24 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-(I)] दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

6131 GI/2023 (1)

टिप्पण: माइलेक एनहाड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1644(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4598(अ), तारीख 29 सितंबर, 2022 और अधिसूचना संख्यांक का.आ.1788(अ), तारीख 18 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICAL AND FERTILIZER

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2023

- **S.O. 4233(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Maleic Anhydride (Quality Control) Order 2022, namely:—
- 1. **Short title and commencement**.- (1) This Order may be called the Maleic Anhydride (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, in sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:
 - "(2) It shall come into force on the 24th day of April, 2024."

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC Pt-I]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O.1644(E), dated the 5th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 4598(E), dated the 29th September, 2022 and S.O. 1788(E), dated the 18th April, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2023

का.आ. 4234(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 और धारा 25 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एथिलीन विनाइल एसिटेट कोपॉलिमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन विनाइल एसिटेट कोपॉलिमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. एथिलीन विनाइल एसिटेट कोपॉलिमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) में, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थातु:-
 - "(2) यह 03 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-(I)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: एथिलीन विनाइल एसिटेट कोपॉलिमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1643(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4597(अ), तारीख 29 सितंबर, 2022 और अधिसूचना संख्यांक का.आ.1556(अ), तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2023

- **S.O. 4234(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is the opinion that it is necessary so to do in the public interest hereby makes the following order further to amend the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order 2022, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order 2022, in paragraph 1, in sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:
 - "(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2024."

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC Pt-I]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O.1643(E), dated the 5th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 4597(E), dated the 29th September, 2022 and S.O. 1556(E), dated the 31st March, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2023

का.आ. 4235(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 और धारा 25 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, पॉलिएथिलीन मैटेरियल फॉर मोल्डिंग एंड एक्सटूज़न के लिए (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश. 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है. अर्थात:—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएथिलीन मैटेरियल फॉर मोल्डिंग एंड एक्सटूज़न (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉलिएथिलीन मैटेरियल फॉर मोल्डिंग एंड एक्सट्रूज़न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) में, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(2) यह 05 जनवरी, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-(I)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: पॉलिएथिलीन मैटेरियल फॉर मोल्डिंग एंड एक्सट्रूज़न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1647(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4601(अ), तारीख 29 सितंबर, 2022 और अधिसूचना संख्यांक का.आ.1557(अ), तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2023

- **S.O. 4235(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is the opinion that it is necessary so to do in the public interest hereby makes the following order further to amend the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022 in paragraph 1, in subparagraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(2) It shall come into force on the 05th day of January, 2024."

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC Pt-I]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1647(E) dated the 5th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 4601(E), 29th September, 2022 and S.O. 1557(E), dated the 31st March, 2023.